न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–186/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00317)

01. नैहनू पुत्र जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी ग्राम कांकरिया, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. घासी,
02. लादूराम पुत्रान पून्या,
03. रामफुल,
04. कजोड़ पुत्रान मंगला,
05. रामसहाय पुत्र श्योबक्स,
06. जगदीश पुत्र श्योनारायण,
07. जयकिशन,
08. बाबूलाल पुत्रान बद्री,
09. मूली देवी पत्नी बद्री,
10. लादू पुत्र भैरू समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कांकरिया, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.06.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के आदेश दिनांक 29.06.2016 (प्रकरण संख्या 60/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.16 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 11 को फरीक बनाते हुये खसरा नम्बर 219 लगायत 224, 285/487, 315, 316, 464, 477, 478 किता कुल 12 कुल रकबा 1.54 हैक्टयर वाके ग्राम कांकरिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के मुतालिक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत पेश किया गया और आनन–फानन में अपीलान्ट फरीक अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का नोटिस नही दिया गया, न ही रिकार्ड की जॉच की गई, और न ही तहसीलदार के जवाब व रिकार्ड का इन्तजार किया गया और दिनांक 29.6.2016 को ही आवेदन स्वीकार पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान कर दिया और रिकार्ड से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय/आदेश में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की हाजिरी मान ली गई जबकि अपीलान्ट को कोई नोटिस ही जारी नही हुआ, दिनांक 29.06.2016 को ही आवेदन पेश हुआ और दिनांक 29.06.2016 को ही आदेश कर दिया इस कारण आदेश दिनांक 29.06.2016 के आदेश की जानकारी तक पालना नही होने के कारण अपीलान्ट को नही हुआ हाल ही में राजस्व अभियान में विपक्षीगण 1 लगायत 5 द्वारा ऐलानिया

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्थरगढ़ी कराये जाने की धमकी देने से इल्म हुआ जिस पर दिनांक 10.05.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 12.05.2017 को मिली तब जाकर सारे हालात तथा गड़बडी का पता चला है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने खेत व कब्जे की भूमि जो उक्त भूमि के समीप सीमा जोड़ पर है, के मुतालिक वाद सन 2013 से विचाराधीन है जिसमें दावे के निर्णय तक विपक्षीगण प्रतिबंधित है, ऐसी परिस्थिति में प्रश्नाधीन बैजा आदेश दिनांक 29.06.60216 से बेहद प्रभावित व दुखी होकर मौजूदा अपीलान्ट अलावा दीगर वजूहात के हस्तगत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन आदेश कतई विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर साक्ष्य के विपरित तथा आनन–फानन में लिया हुआ होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र पेश हाने की दिनांक 29.06.16 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 29.06.2016 को पत्थरगढी कराये जाने का आदेश पारित कर अतिशीघ्रता में निर्णय पारित किया गया है, जो समेरेली निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय जिन्हे लैंण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे धारा 128 सपठित धारा 111 लैण्ड रेवेनय एक्ट के तहत विचार व मननन व कानूनी प्रक्रिया का पालन कर आदेश दिया जाना था जो न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भंयकर विधिक भूल की है इस लिहाजे से भी प्रश्नाधीन आदेश समेरेली निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नाधीन आराजीयात के समक्ष अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट की सीमा जोड़ भूमि है, इस लिहाज से अपीलान्ट तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुनना आवश्यक था और तो और अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ही अपने खाते व कब्जे की भूमि के मुतालिक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रखा है जिसमें विपक्षीगण 1 लगायत 5 को दावे के निर्णय तक पाबन्द कर रखा है इन सब तथ्यें के होते हुये भी विपक्षीगण ने तथ्यों को छुपाकर बाला–बाला ही प्रश्नाधीन आदेश करा लिया है, जो साफतौर पर विधि अनुरूप नही होने के कारण समेरेली निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के खाते व कब्जे की भूमि के समीप अपीलान्ट के खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 5 लगायत 9, 63, 72, 79, 120 लगायत 123, 156, 157, 212/488, 213 लगायत 217, 319, 334, 344, 348, 378, 384, 439, 452, 468 कुल किता 30 कुल रकबा 4.83 हैक्टयर वाके ग्राम कांकरिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है जिसके समीप खसरा नम्बर 235/487, 255, 219 की सीमा विपक्षीगण 1 लगायत 5 की सीमा लगती है इस कारण अपीलान्ट बैजा आदेश से प्रभावित है एवं प्रश्नाधीन आदेश की नकल लेने की दिनांक से आज दिनांक तक पालना/क्रियान्विति नही हुई है इस कारण इस बैजा आदेश का इल्म नही हुआ, हाल ही में राजस्व अभियान

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के लगने के कारण पालना कराने की धमकी देने से प्रश्नाधीन आदेश की नकल ली जिससे जानकारी हुई तथा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें। इससे पूर्व कोई इल्म नही था इन सब तथ्यों के कारण भी प्रश्नाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.06.16 को निरस्त किया जावें, अलटरनेटिव प्ली के रूप में निवेदन है कि दिनांक 29.06.16 के आदेश को निरस्त कर मुकम्मिल सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने के लिये प्रतिप्रेषित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 285/487 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0. 13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.23 हैक्टयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.54 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम कांकरिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित व दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में पेश किया था जिसके आधार पर पटवारी हल्का व गिरदावर मौके पर सीमाज्ञान करने गये तो अपीलार्थीगण ने सीमाज्ञान नही करने दिया व गाली गलोच किया व विवाद करने पर उतारू हो गये व सीमाचिन्ह व मेड़ों को तोड़कर मिटा दिया इस प्रकार रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाना चाहता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण लड़ाकू किस्म के व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति की सीमा में घुसकर अपनी सीमा बताकर आये दिन लड़ाइ झगडा एवं मारपीट करने पर उतारू रहते है व उपरोक्त मौके की रेस्पोडेन्ट की भूमि की पत्थरगढी पुलिस सुरक्षा मे करवाने चाहते है तो अपीलार्थीगण पत्थररगढी किये जाने में कोई वाद विवाद एवं लडाई झगड़ा एवं खूनखराबा नही करे इस कारण अपीलार्थीगण को नोटिस देकर मौक पर शान्तिपूर्वक पत्थरगढी करवाने के सम्बन्ध में जारी किया जाने और उनको पाबन्द फरमाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है पक्षकारान के मध्य वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 219 भी विवादग्रस्त है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के आदेश दिनांक 20.05.13 से स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसको आदेश दिनांक 22.06.16 से ताफैसला वाद कन्फर्म भी किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 पारित किया गया है, जो स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुऐ पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.16 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।